

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर 2014—भाद्र 10, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (43).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 8 में, उपनियम (4) में, परन्तुक में, अंक और शब्द “31 अगस्त 2014”, के स्थान पर, अंक और शब्द “20 सितम्बर 2014” स्थापित किए जाएं;
- (2) नियम 8-क में, उपनियम (6) में, परन्तुक में, अंक और शब्द “31 अगस्त 2014”, के स्थान पर, अंक और शब्द “20 सितम्बर 2014” स्थापित किए जाएं;
- (3) नियम 21 में, उपनियम (2) तथा (2-ख) में, परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि 30 जून, 2014 को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित विवरणी, रुपए एक करोड़ वार्षिक से अधिक कुल राशि (टर्न ओवर) वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी की दशा में 5 सितम्बर, 2014 तक तथा रुपए एक करोड़ वार्षिक तक कुल राशि (टर्न ओवर) वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी की दशा में 20 सितम्बर, 2014 तक प्रस्तुत की जाएगी.”;

- (4) नियम 21-क में, परन्तुक में, अंक और शब्द "31 अगस्त 2014", के स्थान पर, अंक और शब्द "5 सितम्बर 2014" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-35-2014-1-पांच (43), दिनांक 1 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st September 2014

No. F-A-3-35-2014-1-V (43).—WHEREAS the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In rule 8, in sub-rule (4), in the proviso, for the figures and word "31st August, 2014", the figures and word "20th September, 2014" shall be substituted;
- (2) In rule 8-A, in sub-rule (6), in the proviso, for the figures and word "31st August, 2014", the figures and word "20th September, 2014" shall be substituted;
- (3) In rule 21, in sub-rule (2) and (2-B), in the proviso for full stop, the colon shall be substituted and there after the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that the return pertaining to the quarter ending on 30th June, 2014 shall be furnished upto 5th September, 2014, in case of a registered dealer whose annual turnover is more than rupees one crore and upto 20th September, 2014, in case of a registered dealer whose annual turnover is upto rupees one crore.";

- (4) In rule 21-A, in the proviso, for the figures and word "31st August, 2014", the figures and word "5th September, 2014" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.